निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 187) पटना, सोमवार, 19 जनवरी 2015

गृह विभाग
(अभियोजन निदेशालय)

अधिसूचना
24 दिसम्बर 2014

सं0 अ0नि0(01)26/2013/स्था0–**1140**—भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल गृह विभाग के नियंत्राधीन अभियोजन निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–** (1) यह नियमावली बिहार क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य के क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ । –** इस नियामावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:–

(i) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) ''सरकार के आदेश'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन बनायी गयी कार्यपालिका नियमावली में प्रदत शक्तियों के अंतर्गत पारित कार्यपालक आदेश;

(iii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट गृह विभाग;

(iv) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है महानिदेशक, अभियोजन, बिहार;

(v) ''नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है महानिदेशक, अभियोजन, बिहार

(vi) ''सामान्य प्रशासन विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य प्रशासन विभाग;

(vii) ''निदेशालय'' से अभिप्रेत है अभियोजन निदेशालय, बिहार;

(viii) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग;

(ix) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(x) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरंभ होने की तिथि;

(xi) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इस में इस नियमावली के प्रवृत होने पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं;

(xii) ''विभागीय प्रोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है विभाग द्वारा गठित प्रोन्नति समिति;

(xiii) ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. **संवर्ग की संरचना।**–लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी–

क्र0	कोटि का नाम	स्तर
(i)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ii)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(iii)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

सभी कोटियों का वेतनमान एवं ग्रेड पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

4. **संवर्ग बल। –**संवर्ग बल ऐसा होगा जो विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

5. **संवर्ग का स्तर।**–यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा जिसका विस्तार बिहार राज्य के सभी क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों तक होगा।

6. **भर्ती।**– (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15% पद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले समूह 'घ' कर्मचारियों में से वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(2) सभी सीधी भर्तियॉ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यार्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(5) सम्यक् छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए करेगा।

7. **अर्हताएँ।–** (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इंटरमीडियट (10+2) उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

8. **आरक्षण।–** भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

9. **प्रोन्नति द्वारा भर्ती।**–(1) नियुक्ति प्राधिकार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले समूह'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

10. **परिवीक्षा।–** प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

11. **विभागीय परीक्षा।**– (i) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(ii) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र–1–सेवा नियमावली–बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

पत्र–2–वित्तीय नियमावली–कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

12. **सम्पुष्टि।**–कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

13. **वरीयता।** – संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी किन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी;

परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षो में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं;

परन्तु यह भी कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

14. **प्रोन्नति।**–(1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित कालावधि के पूरी होने पर और विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) उच्च वर्गीय लिपिक के सभी पदों पर प्रोन्नति वैसे निन्नवर्गीय लिपिकों में से दी जायेगी जो प्रोन्नति हेतु विचारण की नियत तिथि को राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय पत्रों में अंतिम स्तर से उत्तीर्ण घोषित किये गयें हों तथा सम्पुष्ट हों।

(3) उच्च वर्गीय लिपिक से प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति वरीयता सह योग्यता के आधार पर की गयी विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

15. **अवशिष्ट मामले।**–ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं; संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. **निर्वचन।–** जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

17. **कठिनाई का निराकरण।**–सरकार (गृह विभाग) समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश विधि विभाग के परामर्श से जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो और इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**–(1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमीर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 24th December 2014

No. Aa.Ni.(01) 26/2013/Shtha.-**1140**—In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and conditions of service of the Clerical Cadre of the Bihar Regional Prosecution offices:-

1. **Short title, extent and commencement.-**(1) These Rules may be called the Bihar Regional Prosecution Office Clerical Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules,2014.
   (2) It shall extent to all Regional Prosecution Offices of the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force at once.
2. **Definitions.- In these Rules, unless otherwise requires in the context.-**
   (i) "Government" means Government of Bihar;
   (ii) "Order of Government" means Executive Orders passed under the powers conferred in Rules of Executive Business made under Article 166 of the Constitution of India;
   (iii) "Department" means Home Department as specified in Rules of Executive Business;
   (iv) "Appointing Authority" means the Director General, Prosecution, Bihar;
   (v) "Controlling Authority" means the Director General, Prosecution, Bihar;
   (vi) "General Administration Department" means General Administration Department as specified in Rules of Executive Business;
   (vii) "Directorate" means Directorate of Prosecution, Bihar;
   (viii) "Cadre" means the clerical cadre of the Regional Prosecution Offices;
   (ix) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission;
   (x) "Appointed day" means the date of Commencement of these Rules;
   (xi) "Member" means a person appointed in the cadre and it includes all the persons appointed in the cadre before Commencement of these Rules;
   (xii) "Departmental Promotion Committee" means Departmental Promotion Committee constituted by the Department;
   (xiii) "Appointment on compassionate ground" means appointment of any one of the dependents of the government servant dying in harness on compassionate ground as per relevant circulars/ instructions.
3. **Cadre structure.-** The cadre structure of the clerical cadre shall be as follows:-

Si. No.	Name of Category	Level
(i)	Lower Division Clerk	Basic Category
(ii)	Upper Division Clerk	First Promotion Level
(iii)	Head Clerk	Second Promotion Level

Pay Scale and Grade Pay of all categories shall be the same as may be determined by the State Government, from time to time.

4. **Cadre strength.-** The cadre strength shall be such as may be determined by the Department, from time to time.

5. **Level of Cadre.-** This cadre will be of State level which will extend to all Regional Prosecution Offices of the State of Bihar.

6. **Recruitment.-(1)** 85% post of Lower Division Clerk shall be filled up by direct recruitment and 15% posts shall be filled up by promotion on the basis of seniority from amongst the eligible Group "D" employees having qualification for the appointment to the post of Lower Division Clerk**.**

(2) All Direct recruitments shall be made in the grade of Lower Division Clerk on the recommendation of the Commission.

(3) The Appointing Authority shall calculate the vacancies on the basis of the 1st April of every year and shall send the requisition to the Commission by the 30th April.

(4) The Commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of Competitive Examination shall recommend the names of the candidates in order of merit to the Appointing Authority. The validity of the merit list shall be one year from the date of receipt of recommendation.

(5) The Appointing Authority, after due scrutiny, shall appoint the candidate on probation for two years.

7. **Qualifications-(1)** The minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) Pass or equivalent, with knowledge of computer operation and computer typing.

(2) Minimum age for recruitment shall be eighteen years and maximum age shall be the same as may be determined by the State Government, from time to time.

8. **Reservation.-**Compliance of reservation/roster as notified by the State Government, from time to time, in recruitment as well as in promotion, shall be necessary.

9. **Recruitment by promotion.-**(1) The Appointing Authority shall prepare the seniority list of Group "D" employees having qualifications for the appointment to the post of Lower Division Clerk.

(2) The promotion shall be given according to seniority, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

10. **Probation.-** Each recruitment shall be on probation for two years and it may be extended for one year, in special circumstances, by the Appointing Authority, if the probation period is not satisfactory. Such extension shall be made only if the Appointment Authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service is not found satisfactory even in the extended period, the person concerned shall be removed from the service.

11. **Departmental Examination.-**(1) Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue.

(2) There shall be two papers in Departmental Examination and it shall be necessary to obtain 40% marks in each paper for passing the examination.

Paper-1 Service Rules.- Bihar Service Code, Pension Rules, Laws of Seniority and Promotion, Noting and Drafting.

Paper-2 Financial Rules.- Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, General Provident Fund Rules, Travelling Allowances Rules, Insurance Rules.

12. **Confirmation.-** A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing of the departmental examination and computer competency test.

13. **Seniority.-** Inter-se seniority of the members of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission, but the seniority decided before notification of these Rules shall remain unchangeable:

Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of Competitive Examination in the concerned recruitment year:

Provided further that the person appointed by promotion in a recruitment year shall be senior to the person appointed by Competitive Examination in the concerned recruitment year.

14. **Promotion.-** (1) Promotion from basic category to higher category may be given on completion of KALAWADHI as determined by the General Administration Department, from time to time and on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

(2) Promotion to the all posts of Upper Division Clerk may be given to such Lower Division Clerks who have been declared passed by last level in first and second papers of Departmental Examination conducted by the Revenue Board, Bihar on the fixed date of consideration for promotion and are also confirmed.

(3) Promotion from Upper Division Clerk to Head Clerk may be given on the recommendation of Departmental Promotion Committee made on the basis of merit-cum-seniority.

15. **Residual Matters.-** With regard to matters not specifically covered by these Rules, the members of the cadre shall be governed by the Rules, Regulations or Orders applicable to the officers/ employees of the State Government at appropriate level.

16. **Interpretation.-** Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be decided by the Department in consultation with the Law Department whose decision shall be final.

17. **Removal of difficulties.-** The Government (Home Department) may, from time to time, issue such general or special direction, in consultation with the Law Department, which is not in consistent with the provisions of these Rules and is necessary, to remove the difficulty coming in implementation of any of the provisions of these Rules.

18. **Repeal and Savings.-**(1) All resolutions and instructions issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under such resolutions, instructions shall be deemed to have been done or taken under these Rules as if these Rules were come in to force on the day on which such thing or action was done or taken.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 187-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in